रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2012/फाल्गुन 4, 1933
No. 285] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2012/PHALGUNA 4, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2012

सं. 98 (आर.ई.-2010)/2009-2014

विषय : भारत-बांग्लादेश और भारत-नेपाल सीमा पर भू-सीमा-शुल्क स्थलों (एलसीएस) के जरिए गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति ।

का.आ. 321(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009–2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना सं. 71(आर.ई.-2010)/2009–2014, दिनांक 9-9-2011 के पैरा 2 के कॉलम "प्रतिबंध का स्वरूप" में निम्नलिखित संशोधन करती है । अधिसूचना सं. 76 (आर.ई.-2010)/2009–2014 दिनांक 23-9-2011 के प्रावधानों को यहाँ पैरा 2 में शामिल किया गया है ।

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
45क.	1006 10 1006 10 90 1006 20 00 1006 30 1006 30 10 1006 30 90 1006 40 00	किग्रा.	गैर-बासमती चावल	मुक्त	1. निजी भंडारण से प्राइवेट पार्टियों द्वारा निर्यात किया जाएगा । गैर-बासमती चावल के निजी भंडारण का निर्यात राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) और मै. एन सी सी एफ तथा नेफेड के लिए भी अनुमत किया जाएगा । 2. निर्यात सीमा-शुल्क ईडीआई पत्तनों द्वारा किया जाएगा । विदेश व्यापार महानिदेशालय में मात्रा के पंजीकरण के अध्यधीन भारत-बांग्लादेश और भारत-नेपाल सीमा पर गैर ई डी आई भू सीमा-शुल्क स्थलों (एलसीएस) के जरिए भी गैर-बासमती चावल के निजी भण्डारण के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। क्षेत्रीय प्राधिकारी कोलकाता और पटना तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित और ऐसे क्षेत्रीय प्राधिकारी मात्रा के ऐसे पंजीकरण के लिए नामित क्षेत्रीय प्राधिकारी होंगे ।

2. उपरोक्त के अलावा, गैर-बासमती चावल का निर्यात (i) खाद्य सहायता कार्यक्रम और (ii) भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत अनुमत होगा ।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :—

(क) अधिसूचना सं. 71, दिनांक 9-9-2011 के द्वारा प्राईवेट पार्टियों द्वारा निजी भंडारण से गैर-बासमती चावल के निर्यात को केवल सीमा-शुल्क ई डी आई पत्तनों के जरिए मुक्त किया गया था । अब इस अधिसूचना में दो परिवर्तन किए जा रहे हैं ।

(i) अब गैर-बासमती चावल के निजी भंडारण का निर्यात करने के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) और मै. एन सी सी एफ तथा नेफेड को भी अनुमत कर दिया गया है ।

(ii) बांग्लादेश और नेपाल पर गैर-ई डी आई भू-सीमा-शुल्क स्थलों से भी गैर-बासमती चावल के निर्यात को अनुमत किया जा रहा है । भू-सीमा-शुल्क स्थलों से निर्यात के लिए एक मात्र आवश्यकता विदेश व्यापार महानिदेशालय में मात्रा का पंजीकरण कराना होगा ।

(ख) यह अधिसूचना इस विषय पर कुछ अन्य अधिसूचनाओं को भी समेकित करती है ।

[फा. सं. 01/91/180/775/ए एम 10/निर्यात प्रकोष्ठ]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2012

No. 98 (RE-2010)/2009-2014

Subject: Permission for export of non-basmati rice through Land Custom Stations (LCS) on Indo-Bangladesh and Indo-Nepal border.

S.O. 321(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendments in the column "Nature of Restriction" of para 2 of Notification No. 71 (RE-2010)/2009-2014 dated 9-9-2011. Provisions of Notification No. 76 (RE-2010)/2009-2014 dated 23-09-2011 is incorporated here at para 2.

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of Restriction
45A	1006 10 1006 10 90 1006 20 00 1006 30 1006 30 10 1006 30 90 1006 40 00	Kg.	Non-Basmati	Free	1. Export to be made by private parties from privately held stocks. State Trading Enterprises (STEs) including M/s. NCCF & NAFED are also permitted to export privately held stocks of non-Basmati rice. 2. Export shall be through Custom EDI ports. Export is also permitted through the no-EDI Land Custom Stations (LCS) on Indo-Bangladesh and Indo-Nepal border subject to registration of quantity with DGFT. RAs Kolkata & Patna and such other RAs as notified by DGFT from time to time will be the designated RAs for the purpose of such registration of quantity.

2. In addition to above, export of non-Basmati rice (i) under Food Aid Programme and (ii) under bi-lateral trade agreement between Government of India and Government of Maldives shall be permitted.

3. Effect of this notification—

(a) Notification No. 71, dated 9.9.2011 made export of non-basmati rice free by the private parties from privately held stocks only through Custom EDI ports. Two changes are being notified now in this notification:

(i) State Trading Enterprises (STEs) including M/s. NCCF & NAFED have also been permitted to export privately held stocks of non-basmati rice.

Export of non-basmati rice is also being permitted from non-EDI Land Custom Stations on Bangladesh and Nepal border. The only requirement for export through LCS will be registration of quantity with DGFT.

(b) This notification also consolidates some other notification on the subject.

[F. No. 01/91/180/775/AM 10/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.